



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 64 राँची, शुक्रवार, 13 माघ, 1945 (श०)
2 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-16/2021-24829(HRMS)--श्री सुनील कुमार प्रजापति, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद के विरुद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-573, दिनांक 10.04.2021 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में श्री प्रजापति के विरुद्ध मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में समुचित ध्यान नहीं देने, शोक पिट निर्माण एवं रूफ टॉप हार्वेस्टिंग योजना में असंतोषजनक प्रगति, मस्टर रॉल में शुन्य प्रविष्टि, श्रम बजट के लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजन नहीं होने, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में असंतोषजनक प्रगति, पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2021 में Ordersheet Delete करने, वित्तीय वर्ष 2016-19 में आवास पूर्णता, स्थायी प्रतीक्षा सूची से ज्यादा भूमिहीन लाभुकों की संख्या प्रदर्शन करने, Delay House को पूर्ण करने एवं वित्तीय वर्ष 2021-2021 में निबंधन एवं आवास स्वीकृति में प्रगति के संबंध में स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, जन शिकायत अन्तर्गत बाघमारा प्रखण्ड से संबंधित विभिन्न शिकायतों की जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3053, दिनांक 07.07.2021 द्वारा श्री प्रजापति से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में उनके पत्रांक-1160, दिनांक 29.07.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रजापति द्वारा स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) मनरेगा अभिकरण कार्यालय सहित अन्य सभी स्पष्टीकरण एवं पत्रों का जवाब दिया जाता है। आरोप निराधार है।

(ii) जिला अन्तर्गत सभी 10 प्रखण्डों में उनका प्रखण्ड शोक पीट निर्माण में द्वितीय स्थान पर है। रूप टॉप वाटर हार्वेस्टिंग संरचना में प्राप्त लक्ष्य शून्य है। अतः प्रगति संबंधी बात न्यायसंगत नहीं है। यह Injury without hammering है। मस्टर रॉल में शून्य प्रविष्टि के संबंध में प्रतिवेदित है कि एक लंबी अवधि 27.07.2020 से 09.09.2020 (50 दिन) सम्पूर्ण राज्य में मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवक हड़ताल में थे। इसका प्रभाव मनरेगा कार्य पर पड़ा। ऐसी स्थिति कमोवेश सम्पूर्ण राज्य में पड़ा। तत्काल धनबाद जिला में शून्य प्रवृष्ट कुल मस्टर रॉल 15094 में बाघमारा के 3125 थे, शेष अन्य प्रखण्डों से संबंधित था। अतः इस संबंध में इनको जिम्मेवार ठहराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आरोप पत्र में वर्णित पत्र/पत्रांक इसी अवधि के हैं। उनका योगदान इस प्रखण्ड में 05.08.2020 को हुआ, फिर भी ज्ञापांक-998, दिनांक 17.07.2020 द्वारा इनको व्यक्तिगत जिम्मेदार बनाया जाना न्यायसंगत नहीं है।

(iii) माह नवम्बर 2020 में अगले आदेश तक वेतन भी स्थगित किया गया, के संबंध में समर्पित है कि उक्त आदेश बाघमारा सहित 4 प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के लिए था। फिर सिर्फ इनके विरुद्ध आरोप गठन न्यायसंगत नहीं है।

श्रम बजट के विरुद्ध मानव दिवस कम सृजन होने के संबंध में बाघमारा प्रखण्ड द्वारा कई बार वरीय पदाधिकारियों को संज्ञान में दिया गया था कि बाघमारा के 61 पंचायतों के विरुद्ध मात्र 24 पंचायत में पूर्णरूपेण मनरेगा कार्य होता है। 8 पंचायतों में आंशिक रूप से मनरेगा कार्य होता है तथा शेष 29 पंचायत कोल वियरिंग क्षेत्र है, जहाँ मनरेगा कार्य की संभावना बिल्कुल नहीं है। जबकि मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य 61 पंचायतों के आधार पर प्रदान किया जाता है। अतः यह न्यायसंगत नहीं है।

इस अवधि में राज्य के मनरेगा नोडल खाते में लम्बी अवधि तक मजदूरी भुगतान हेतु राशि भी उपलब्ध नहीं थी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मनरेगा कार्य पर पड़ रहा था। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई थी।

बाघमारा का सर्वाधिक क्षेत्र (29 पंचायत) कोल वियरिंग होने तथा मजदूरों को मनरेगा के अलावा आर्थिक क्रिया-कलाप के वैकल्पिक व्यवस्था होने के कारण तथा समय पर मजदूरी नहीं मिल पाने के कारण मानव दिवस सृजन पर आंशिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में भी मनरेगा मजदूरों को मजदूरी भुगतान में काफी समय लगभग 1.5 माह से 2 माह तक लग जाता है। उनके एवं

प्रखण्ड स्तरीय मनरेगा टीम के अथक प्रयास का ही परिणाम था कि 27.01.2021 तक पूर्व सृजित मानव दिवस 11.23% से बढ़कर 57.38% पहुँचाया। उनके द्वारा अधीनस्थ कर्मियों को प्रगति लाने संबंधी निर्देश दिये जाते रहे हैं।

(iv) जन शिकायत अन्तर्गत पत्रांक-526, दिनांक 03.04.2021 नामक कोई पत्र बाघमारा कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इसे लिपिकीय भूल माने तथा पत्रांक-536, दिनांक 03.04.2021 माने तो, उक्त पत्र का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-111, दिनांक 30.04.2021 द्वारा साक्ष्य सहित अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। पत्रांक-109, दिनांक 25.01.2021 का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-59, दिनांक 16.03.2021 द्वारा साक्ष्य सहित अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। इसी तरह पत्रांक-1524, दिनांक 10.10.2020, पत्रांक-1583, दिनांक 19.10.2020 एवं पत्रांक-1230, दिनांक 20.08.2020 का संबंध एक विषय से है, जिसका जाँच प्रतिवेदन साक्ष्य सहित पत्रांक-1424, दिनांक 20.10.2020 द्वारा अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। चूँकि उपरोक्त सभी विषय उनके बाघमारा कार्यालय में पदस्थापन के पूर्व की है, फलस्वरूप इसके जाँच एवं क्रियान्वयन में थोड़ा समय लगा। इसके जाँच हेतु उन्होंने कनीय अभियंता, सहायक अभियंता तथा पर्यवेक्षी पदाधिकारी की एक संयुक्त दल गठित किया था, जिसके जाँच प्रतिवेदन के प्राप्ति के उपरांत ही दिया जाना संभव था। अतः पत्र की अनदेखी नहीं की। आरोप निराधार है।

(v) बैंकों के आपस में विलय हो जाने के कारण Ordersheet Generate करने तथा भुगतान करने के पश्चात् राशि लाभुकों तक न पहुँचकर वापस आ जाता था। FTO reject हो जाता था, जिसके तकनीकी सुधार हेतु जिला स्तर पर Ordersheet Delete करने का निवेदन किया गया था। यह मामला इसी से संबंधित था। इसके पीछे कोई Malafied intention नहीं था। लाभुकों को उनकी आवास की राशि दिलाना न्यायसंगत है। अतः Ordersheet Delete करने संबंधी किया गया निवेदन विधि विरुद्ध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2016-19 में आवास पूर्णता की स्थिति अन्य प्रखण्डों की तुलना में अच्छी है। आरोप निराधार है।

(vi) स्थायी प्रतीक्षा सूची से ज्यादा भूमिहीन लाभुकों की संख्या प्रदर्शन करने के संबंध में प्रतिवेदित है कि SECC data में जिन व्यक्तियों को भूमिहीन प्रदर्शित किया गया, उसे फेर-बदल नहीं किया गया है। उक्त संख्या बड़ी है। जिसे उन्होंने ही संज्ञान में लाया। चूँकि कोल वियरिंग क्षेत्र होने के कारण विभिन्न स्थलों/जिलों से लोग आकर यहाँ अस्थायी/स्थायी तौर पर बसे हैं, जिनका नाम SECC data में भूमिहीन के रूप में दर्ज है। अतः इन्होंने उसी संख्या को संज्ञान में लाया है। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। अतः आरोप निराधार है।

(vii) Delay House को पूर्ण करने के मामले में बाघमारा प्रखण्ड की स्थिति अन्य प्रखण्डों की तुलना में अच्छी है। भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही आवास निर्माण संभव है। जब तक भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक आवास निर्माण संभव नहीं है। अतः इस संबंध में अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की माँग की गयी है। दूसरी ओर अंचल कार्यालय द्वारा अनेक लाभुकों (200 से अधिक) को उन्हें भूमि पाने की अर्हता नहीं पाये जाने के कारण भूमि बंदोबस्ती नहीं किया गया है। अतः इसके कारण इनको जिम्मेवार ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है।

लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2138 आवासों की स्वीकृति दी गई थी। इसका अनुपालन किया गया है। अतः आरोप निराधार है।

श्री प्रजापति के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रजापति के विरुद्ध मनरेगा योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं करने एवं विभिन्न जन शिकायतों का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने तथा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने से संबंधित है।

अतः समीक्षोपरांत श्री सुनील कुमार प्रजापति, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के शर्त के साथ आरोप मुक्त जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुनील कुमार प्रजापति, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUNIL KUMAR PRAJAPATI JHK/JAS/184	श्री सुनील कुमार प्रजापति, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के शर्त के साथ आरोप मुक्त जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
